अनुदान संख्या 48 – पुलिस
GRANT No. 48 - POLICE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged -*					
मूल	*Original*	*6,77,00*		*30,56,00*	*26,53,15*	*-4,02,85*
पूरक	*Supplementary*	*23,79,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*1,41,00*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	96743,93,00		96743,95,00	88093,09,89	-8650,85,11
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					8380,89,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged -*			*4,42,00*	*1,91,44*	*-2,50,56*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*1,78,00*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	9854,45,00		9854,46,00	5065,80,67	-4788,65,33
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4657,58,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹ 402.85 लाख*) फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए *₹ 2379.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 17 प्रतिशत थीं तथा कुल स्वीकृत *विनियोग* का 13 प्रतिशत थीं।

(I) अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹ 205.00 लाख* का *विनियोग* (*₹ 175.00 लाख* के पूरक *विनियोग* सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा;

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹ 402.85 lakhs*) constituted 17 percent of the supplementary *appropriation* of *₹ 2379.00 lakhs* obtained in February, 2021 and 13 percent of the total sanctioned *appropriation*.

(I) *Appropriation* of *₹ 205.00 lakhs* (including supplementary *appropriation* of *₹ 175.00 lakhs*) remained wholly unutilised under two heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	9205453.00			
पू.	S.	2.00	8625330.00	8598374.64	-26955.36
पु.	R.	-580125.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants- in-aid to State Governments				
मू.	O.	368810.00			
			125441.00	125400.25	-40.75
पु.	R.	-243369.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants- in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	100130.00			
			85535.00	85535.00	..
पु.	R.	-14595.00			

(I) ₹31211.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹30270.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹31211.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹30270.00 lakhs accounted for under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" –

(A) Major Head "2055"-

(क) "शिक्षा तथा प्रशिक्षण – राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय" – ₹800.00 लाख – प्रस्तावित राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बनाए जाने के कारण।

(a) "Education and Training - National Police University" - ₹800.00 lakhs - due to replacing of the proposed National Police University by Rashtriya Raksha University.

(ख) "सीमा प्रबंधन – तटीय सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान" – ₹975.00 लाख – कम दावे प्राप्त होने के कारण।

(b) "Border Management - Grants to Union Territories without Legislature under Coastal Security Scheme" - ₹975.00 lakhs - due to receipt of less claims.

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – निर्भया निधि से वित्तपोषित स्कीम" – ₹28495.00 लाख – संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से दावों की प्राप्ति न होने के कारण।

(B) Major Head "3602" - "Other Transfers/ Grants to Union Territory Governments with Legislature - Special Assistance - Scheme financed from Nirbhaya Fund" - ₹28495.00 lakhs - due to non-receipt of claims from Union Territory Governments.

(II) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(II) Under Major Head "2055" -savings occurred under the following heads:-

(का) “निदेशन और प्रशासन” –

(क) “आसूचना ब्यूरो” – ₹18596.82 लाख की बचत (₹249145.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण भर्ती परीक्षा स्थगित किए जाने, डीए का स्थिरीकरण किए जाने, यात्रा पर प्रतिबंध होने, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आ जाने और नेशनल पुलिस स्मारक सोसाइटी (एनपीएमएस) के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) “केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का विभागीय लेखा संगठन” – ₹938.04 लाख की बचत (₹12103.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ग) “राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड” – ₹576.87 लाख की बचत (सितम्बर, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3196.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) “आप्रवास ब्यूरो” – ₹7885.85 लाख की बचत (₹56074.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) “राष्ट्रीय जांच एजेंसी” – ₹761.74 लाख की बचत (₹13503.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “शिक्षा तथा प्रशिक्षण” –

(क) “राष्ट्रीय पुलिस अकादमी” – ₹4176.43 लाख की बचत (₹14153.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “राष्ट्रीय अपराध विज्ञान तथा फोरेंसिक विज्ञान संस्थान” – ₹816.61 लाख की बचत (₹2163.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) “Direction and Administration” -

(a) “Intelligence Bureau” - saving of ₹18596.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹249145.00 lakhs) was due to deferment of recruitment exams, freezing of dearness allowance, restrictions on travel, disruption in supply chain owing to COVID-19 pandemic and requirement of less funds towards National Police Memorial Society (NPMS).

(b) “Departmental Accounting Organisation of Central Armed Police Forces” - saving of ₹938.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12103.00 lakhs);

(c) “National Intelligence Grid” - saving of ₹576.87 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3196.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in September, 2020);

(d) “Bureau of Immigration” - saving of ₹7885.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 56074.00 lakhs);

(e) “National Investigation Agency” - saving of ₹761.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13503.00 lakhs);

(B) “Education and Training” -

(a) “National Police Academy” - saving of ₹4176.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14153.00 lakhs);

(b) “National Institute of Criminology and Forensic Science” - saving of ₹816.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2163.00 lakhs);

(ग) "पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी" – ₹643.87 लाख की बचत (₹3147.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी" – ₹730.40 लाख की बचत (₹2369.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹643.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3147.00 lakhs);

(d) "Central Academy for Police Training" - saving of ₹730.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2369.00 lakhs); and

(गा) "आपराधिक जांच और सतर्कता – केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹790.78 लाख की बचत (₹4651.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Criminal Investigation and Vigilance-Central Forensic Science Laboratory" - saving of ₹790.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4651.00 lakhs).

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण डीए का स्थिरीकरण किए जाने, यात्रा पर प्रतिबंध होने तथा आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण हुईं।

Savings under the above nine heads were due to freezing of dearness allowance, restrictions on travel and disruption in supply chain owing to COVID-19 pandemic.

(घा) "केन्द्रीय रिजर्व पुलिस – स्थापना" – ₹159153.42 लाख की बचत (₹2555716.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने, नई परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब होने, युद्दक मदों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और यात्रा पर प्रतिबंध होने के कारण हुई।

(D) "Central Reserve Police - Establishment" - saving of ₹159153.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2555716.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowances, non-filling up of vacant posts, delay in completion of new projects, non-finalization of procurement proposals of combat items, restrictions on travel owing to COVID-19 pandemic.

(ङा) "असम राइफल्स – स्थापना तथा प्रशासन" – ₹46768.72 लाख की बचत (₹585135.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्ति/मृत्यु/सेवामुक्ति/बर्खास्तगी के कारण नफरी में परिवर्तन होने, कोविड–19 महामारी के चलते महंगाई भत्ते/का स्थिरीकरण किए जाने, यात्रा पर प्रतिबंध होने और अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(E) "Assam Rifles - Establishment and Administration" - saving of ₹46768.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹585135.00 lakhs) was due to variation in the strength owing to retirement/death/discharge/dismissal, freezing of dearness allowance, restriction on travel and non-finalization of procurement of proposals owing to COVID-19 pandemic.

(चा) "विशेष पुलिस" –

(क) "अनुसंधान" – ₹7074.48 लाख की बचत (₹70000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदागत दायित्व पूरे न होने तथा लक्ष्य

(F) "Special Police" -

(a) "Research" - saving of ₹7074.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70000.00 lakhs) was due to non-

अनुसार भुगतान होने में विलंब के कारण हुई।

(ख) "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंन्द्र" – ₹3919.66 लाख की बचत (₹7980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कम होने और वित्त मंत्रालय द्वारा पहली दो तिमाहियों में व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(छा) "सीमा सुरक्षा बल" –

(क) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹158059.06 लाख की बचत (₹2074101.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने, भण्डारण मदों की आपूर्ति न होने, कार्य की धीमी गति होने और कम विज्ञापन किए जाने के कारण हुई।

(ख) "भारत–तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹29664.53 लाख की बचत (₹641361.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, यात्रा पर प्रतिबंध होने तथा आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण हुई।

(जा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड – स्थापना" – ₹22412.39 लाख की बचत (₹111903.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, हेलिकॉप्टर यात्रा का आयोजन न होने, यात्रा पर प्रतिबंध होने तथा कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(झा) "पुलिस कार्मिकों का कल्याण – केन्द्रीय पुलिस संगठनों को कल्याण अनुदान" – ₹2855.56 लाख की बचत (₹9500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

fructification of contractual obligations and delay in milestone payments.

(b) "Indian Cyber Crime Coordination Centre"- saving of ₹3919.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7980.00 lakhs) was due to conduction of less training programme owing to COVID - 19 pandemic and restriction on expenditure in the first two quarter by Ministry of Finance.

(G) "Border Security Force" -

(a) "Directorate General of Border Security Force" - saving of ₹158059.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2074101.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowances, non-filling up of vacant posts, non-supply of store items, slow pace of work and less advertisements.

(b) "Indo-Tibetan Border Police" - saving of ₹29664.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹641361.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, restrictions on travel and disruption in supply chain owing to COVID-19 pandemic.

(H) "National Security Guard - Establishment" - saving of ₹22412.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹111903.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, non-finalization of procurement proposals, non-conduction of helicopter travel, restriction on travel and slow pace of work.

(I) "Welfare of Police Personnel - Welfare Grant to Central Police Organisations" - saving of ₹2855.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9500.00 lakhs) was due to receipt of less claims.

(ञ) "बेतार तथा कम्प्यूटर" –

(क) "इंटर–स्टेट पुलिस वायरलेस स्कीम" – ₹772.24 लाख की बचत (₹7808.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो" – ₹3130.06 लाख की बचत (₹7846.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(टा) "विशेष सुरक्षा दल – स्थापना" – ₹12065.69 लाख की बचत (₹44710.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण डीए का स्थिरीकरण किए जाने, यात्रा पर प्रतिबंध होने तथा आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण हुईं।

(ठा) "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" –

(क) "एलडब्ल्यूई प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता" – ₹3421.15 लाख की बचत (₹10355.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "सुरक्षा परिवेश" – ₹880.84 लाख की बचत (₹2375.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम" – ₹1180.58 लाख की बचत (1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(डा) "दिल्ली पुलिस" –

(क) "दिल्ली पुलिस के यातायात और संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण" – ₹761.89 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(J) "Wireless and Computers"-

(a) "Inter-State Police Wireless Scheme" - saving of ₹772.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7808.00 lakhs);

(b) "National Crime Records Bureau" - saving of ₹3130.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 7846.00 lakhs); and

(K) "Special Protection Group - Establishment" - saving of ₹12065.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44710.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to freezing of dearness allowance, restriction on travel and disruption in supply chain owing to COVID-19 pandemic.

(L) "Modernisation of Police Force" -

(a) "Assistance to Central Agencies for LWE Management" - saving of ₹3421.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10355.00 lakhs);

(b) "Security Environment" - saving of ₹880.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2375.00 lakhs);

(c) "Civic Action Programme" - saving of ₹1180.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs); and

(M) "Delhi Police"-

(a) "Modernisation of Traffic & Communication Network of Delhi Police" - saving of ₹761.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम दावों की प्राप्ति के कारण हुईं।

(ख) "निदेशन और प्रशासन" – ₹21070.64 लाख की बचत (₹800182.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण डीए का स्थिरीकरण किए जाने, यात्रा पर प्रतिबंध होने, आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने/सैनिकों की सीमित गतिविधियों तथा कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ढा) "सशस्त्र सीमा बल – स्थापना" – ₹57470.89 लाख की बचत (₹650980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण डीए का स्थिरीकरण किए जाने, यात्रा पर प्रतिबंध होने, आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने तथा कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(णा) "सीमा प्रबंधन – भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को अनुदान" – ₹26255.00 लाख की बचत (₹46255.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ता) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – निर्भया निधि को अंतरण" – ₹68360.00 लाख की बचत (₹85523.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(था) "अन्य व्यय" –

(क) "अन्य सरकारों/विभागों को भुगतान किया गया शुल्क" – ₹2279.05 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ख) "निर्भया निधि परियोजना" – ₹812.53 लाख की बचत (₹4610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनसीआरबी की सक्रिय मॉनीटरिंग

Savings under the above four heads were due to receipt of less claims.

(b) "Direction and Administration" - saving of ₹21070.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800182.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, restrictions on travel, restricted movement of troops owing to COVID-19 pandemic and receipt of less claims.

(N) "Sashastra Seema Bal - Establishment" - saving of ₹57470.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650980.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, restrictions on travel disruption in supply chain owing to COVID-19 pandemic and receipt of less medical claims.

(O) "Border Management - Grants to Land Port Authority of India" - saving of ₹26255.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46255.00 lakhs) was due to slow pace of work by implementing agencies.

(P) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Nirbhaya Fund" - saving of ₹68360.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹85523.00 lakhs) was due to slow pace of work owing to COVID-19 pandemic.

(Q) "Other Expenditure" -

(a) "Charges paid to other Govts./Deptts." - saving of ₹2279.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals and slow pace of work owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Nirbhaya Fund Project" - saving of ₹812.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4610.00 lakhs) was due to

यूनिट के लिए इंटरनेट बैंडविथ/आईपी एड्रेस को मूर्त रूप न दिए जाने तथा कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें – निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम" – ₹71939.20 लाख की बचत (₹78336.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ख) "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹122856.00 लाख की बचत (₹227892.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(खा) "विशेष सहायता" –

(क) "पुलिस संबंधी खर्चों के लिए अनुदान/प्रतिपूर्ति" – ₹9948.34 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "निर्भया निधि से वित्तपोषित स्कीमें" – ₹37920.13 लाख की बचत (₹49082.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

(IV) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹2105.74 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 100 प्रतिशत थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4798.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत फरवरी, 2021 में ₹1.00

non-materialisation of internet bandwidth/ IP address for Pro-active monitoring unit of NCRB and receipt of less claims.

(III) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Centrally sponsored Schemes - Central Assistance/Share" -

(a) "Border Area Development Programme" - saving of ₹71939.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹78336.00 lakhs) was due to slow pace of work owing to COVID-19 Pandemic.

(b) "Modernisation of Police Forces" - saving of ₹122856.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹227892.00 lakhs);

(B) "Special Assistance" -

(a) "Grants/Re-imbursement for Police Related Expenses" - saving of ₹9948.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs); and

(b) "Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹37920.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49082.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less claims from State Governments.

(IV) Under five heads savings of ₹2105.74 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 19 percent to100 percent of the total sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹4798.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while

लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण – पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय योजना" – ₹4298.00 लाख।

(खा) "सीमा प्रबंधन – तटीय सुरक्षा के लिए वैधानिक संगठन को अनुदान" – ₹500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹499.50 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष "2055" –

(क) "औद्योगिक सुरक्षा बल – निदेशन और प्रशासन"– ₹53961.50 लाख का अधिक व्यय (₹1064337.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोखिम कठिनाई भत्ते के बकाया के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "सीमा प्रबंधन" –

(i) "भारत–बांग्लादेश सीमा निर्माण" – ₹1469.36 लाख का अधिक व्यय (₹8897.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "भारत–पाकिस्तान सीमा निर्माण" – ₹1858.31 लाख का अधिक व्यय (₹8896.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थापित की गई फ्लडलाइटों के बिजली बिलों को भरने, ताकि अर्थदंड/अधिभार न लगे, के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – पुलिस बलों का आधुनिकीकरण"

obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head "2055" - under the following heads:-

(A) "Modernization of Police Force - National Scheme for Modernization of Police and Other Forces" - ₹4298.00 lakhs.

(B) "Border Management - Grants to Statutory Organization for Coastal Security" - ₹500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹499.50 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following heads:-

(A) Major Head "2055"-

(a) "Industrial Security Force - Direction and Administration" - excess of ₹53961.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1064337.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Risk Hardship Allowances arrear.

(b) "Border Management"-

(i) "Indo-Bangladesh border work" - excess of ₹1469.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8897.00 lakhs); and

(ii) "Indo-Pak border works" - excess of ₹1858.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8896.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards electricity bills of floodlights installed at the International Border to avoid any penalty/surcharge.

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Modernisation

– ₹14000.00 लाख का अधिक व्यय (₹71535.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

of Police Forces" - excess of ₹14000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹71535.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards settlement of pending claims.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹279.44 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 56 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹279.44 lakhs occurred constituting 56 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹ 107.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *₹107.00 lakhs* remained wholly unutilized under two heads.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	919229.00			
पू.	S.	1.00	519688.00	506580.67	-13107.33
पु.	R.	-399542.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	66216.00	..	..	..
पु.	R.	-66216.00			

(I) ₹75262.15 लाख का प्रावधान उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹74452.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹75262.15 lakhs remained wholly unutilized under nineteen heads; of these ₹74452.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "4055" –

(क) "अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण – राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय" – ₹7706.00 लाख – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण।

(ख) "दिल्ली पुलिस – उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली" – ₹530.00 लाख – कोविड–19 महामारी के कारण प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" –

(क) "असम राइफल्स" –

(i) "आवासीय भवन" – ₹7471.00 लाख;

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹10218.00 लाख;

(ख) "सीमा सुरक्षा बल" –

(i) "आवासीय भवन" – ₹2309.00 लाख;

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹2968.00 लाख;

(ग) "सशस्त्र सीमा बल" –

(i) "आवासीय भवन" – ₹9491.00 लाख;

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹12072.00 लाख;

(घ) "केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – कार्यालय भवन" – ₹1187.00 लाख;

(ङ) "सीमा प्रबंधन" –

(i) "भारत–बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य" – ₹12300.00 लाख;

(A) Major Head "4055" -

(a) "Research, Education and Training - National Police University" - ₹7706.00 lakhs - due to establishment of Rashtriya Raksha University.

(b) "Delhi Police - Intelligent Traffic Management System" - ₹530.00 lakhs - due to non-finalization of proposals owing to COVID-19 pandemic.

(B) Major Head "4552" -

(a) "Assam Rifles" -

(i) "Residential Building" - ₹7471.00 lakhs;

(ii) "Office Building" - ₹10218.00 lakhs;

(b) "Border Security Force" -

(i) "Residential Building" - ₹2309.00 lakhs;

(ii) "Office Building" - ₹2968.00 lakhs;

(c) "Sashastra Seema Bal" -

(i) "Residential Building" - ₹9491.00 lakhs;

(ii) "Office Building" - ₹12072.00 lakhs;

(d) "Central Reserve Police Force" - Office Building" - ₹1187.00 lakhs;

(e) "Border Management" -

(i) "Indo-Bangladesh Border Works" - ₹12300.00 lakhs;

(ii) "भारत–चीन सीमा" – ₹5700.00 लाख;

(च) "भारत – तिब्बत सीमा पुलिस" –

(i) "आवासीय भवन" – ₹1000.00 लाख; और

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹1500.00 लाख।

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "केन्द्रीय आरक्षी पुलिस" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹32065.67 लाख की बचत (₹53395.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने, कार्य की धीमी गति होने और प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "आवासीय भवन" – ₹28533.91 लाख की बचत (₹47500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी गति और प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "सामान्य" – ₹23923.54 लाख की बचत (₹61086.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, वाहनों की आपूर्ति नहीं होने और कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ii) "Indo-China Border" - ₹5700.00 lakhs;

(f) "Indo Tibetan Border Police" -

(i) "Residential Building" - ₹1000.00 lakhs; and

(ii) "Office Building" - ₹1500.00 lakhs.

Provisions under the above eleven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Central Reserve Police" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹32065.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹53395.00 lakhs) was due to requirement of less funds by CPWD, slow pace of work and non-finalization of proposals owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹28533.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47500.00 lakhs)was due to slow pace of work and non-finalization of proposals.

(c) "General" - saving of ₹23923.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹61086.00 lakhs) was due to non-finalization of procurement proposals, non-supply of vehicles and slow pace of work.

(घ) "आधुनिकीकरण" – ₹5852.44 लाख की बचत (₹8764.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी गति होने और अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "असम राइफल्स" –

(क) "सामान्य" – ₹7772.43 लाख की बचत (₹19000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "आधुनिकीकरण" – ₹1762.93 लाख की बचत (₹2002.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 की वजह से कार्य की धीमी गति के कारण हुईं।

(गा) "सीमा सुरक्षा बल" –

(क) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹28196.32 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹93747.15 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "भारत – तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹31648.56 लाख की बचत (₹58983.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्य की धीमी गति होने और अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुईं।

(घा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड" –

(क) "सामान्य" – ₹3434.24 लाख की बचत (₹7098.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति न होने, अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम

(d) "Modernisation" - saving of ₹5852.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8764.00 lakhs) was due to slow pace of work and non-finalization of procurement proposals.

(B) "Assam Rifles" -

(a) "General" - saving of ₹7772.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19000.00 lakhs); and

(b) "Modernisation" - saving of ₹1762.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2002.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow pace of work owing to COVID - 19 pandemic.

(C) "Border Security Force" -

(a) "Directorate General of Border Security Force" - saving of ₹28196.32 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹93747.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakh obtained in February, 2021); and

(b) "Indo-Tibetan Border Police" - saving of ₹31648.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58983.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow pace of work and non-finalization of procurement proposals.

(D) "National Security Guard" -

(a) "General" - saving of ₹3434.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7098.00 lakhs) was due to non-procurement of motor vehicles, non-

रूप नहीं दिए जाने तथा आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण हुई।

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹4303.65 लाख की बचत (₹6869.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "आवासीय भवन" – ₹1732.70 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें श्रमिकों के उपलब्ध न होने और लॉकडाउन के कारण कार्य की धीमी गति के कारण हुईं।

(ङ) "औद्योगिक सुरक्षा बल" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹10713.73 लाख की बचत (₹16659.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "आवासीय भवन" – ₹9515.58 लाख की बचत (₹12346.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "सामान्य" – ₹1056.08 लाख की बचत (₹4162.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(चा) "विशेष सुरक्षा दल" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹840.00 लाख की बचत (₹1245.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "सामान्य" – ₹8497.63 लाख की बचत (₹14500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(छा) "अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण" –

finalisation of procurement proposals and disruption in the supply chain owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Office Buildings" - saving of ₹4303.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6869.00 lakhs); and

(c) "Residential Buildings" - saving of ₹1732.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-availability of labourers and slow pace of work owing to lockdown.

(E) "Industrial Security Force" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹10713.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16659.00 lakhs);

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹9515.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12346.00 lakhs);

(c) "General" - saving of ₹1056.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4162.00 lakhs);

(F) "Special Protection Group" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹840.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1245.00 lakhs);

(b) "General" - saving of ₹8497.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14500.00 lakhs);

(G) "Research, Education and Training" -

(क) "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" – ₹1405.08 लाख की बचत (₹2065.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय" – ₹1838.73 लाख की बचत (₹2953.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति होने के कारण हुईं।

(ग) "पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी" – ₹704.43 लाख की बचत (₹1110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण हुई।

(घ) "केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान" – ₹28090.00 लाख की बचत (₹45090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(जा) "दिल्ली पुलिस" –

(क) "दिल्ली पुलिस आवासन के संबंध में सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल" – ₹7044.14 लाख की बचत (₹8994.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "दिल्ली पुलिस भवन कार्यक्रम" – ₹4568.36 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹0.15 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹27568.15 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(झा) "सशस्त्र सीमा बल" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹4160.81 लाख की बचत (₹9415.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "National Police Academy" - saving of ₹1405.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2065.00 lakhs); and

(b) "Central Detective Training School" - saving of ₹1838.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2953.00 lakhs).

Savings under the above seven heads were due to slow pace of work owing to COVID-19 pandemic.

(c) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹704.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1110.00 lakhs) was due to slow pace of work by executing agencies.

(d) "Central Armed Police Force Institute of Medical Science" - saving of ₹28090.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45090.00 lakhs);

(H) "Delhi Police" -

(a) "Public Private Partnership Initiative on Delhi Police Housing" - saving of ₹7044.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8994.00 lakhs);

(b) "Delhi Police Building Programme" - saving of ₹4568.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹27568.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakh obtained in February, 2021);

(I) "Sashastra Seema Bal" -

(a) "Residential Buildings" - saving of ₹4160.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9415.00 lakhs);

(ख) "बाहरी सीमा चौकी" – ₹1599.46 लाख की बचत (₹8003.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "सामान्य" – ₹1566.50 लाख की बचत (₹8989.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ञ) "सीमा प्रबंधन" –

(क) "भारत–बांग्लादेश सीमा निर्माण" – ₹13728.70 लाख की बचत (₹63663.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) भारत–पाकिस्तान सीमा निर्माण" – ₹6831.41 लाख की बचत (₹29413.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "भारत–चीन सीमा" – ₹6845.47 लाख की बचत (₹27867.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ठा) "अन्य पुलिस संगठन" –

(क) "समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)" – ₹909.23 लाख की बचत (₹1770.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति होने और प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुईं।

(ख) "राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" – ₹1156.19 लाख की बचत (₹3097.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "आंसू गैस की सामग्री का क्रय, निर्माण और वितरण" – ₹1131.05 लाख की बचत (₹1385.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल्य में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए निविदाएं समाप्त किए

(b) "Border Out Posts" - saving of ₹1599.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8003.00 lakhs);

(c) "General" - saving of ₹1566.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8989.00 lakhs);

(J) "Border Management" -

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" - saving of ₹13728.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹63663.00 lakhs);

(b) "Indo-Pak Border Works" - saving of ₹6831.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29413.00 lakhs);

(c) "Indo-China Border" - saving of ₹6845.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27867.00 lakhs); and

(K) "Other Police Organization" -

(a) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of ₹909.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1770.00 lakhs).

Savings under the above ten heads were due to slow pace of work and non-finalization of proposals owing to COVID-19 pandemic.

(b) "National Intelligence Grid" -saving of ₹1156.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3097.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(c) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - saving of ₹1131.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1385.00 lakhs) was due to scraping of

जाने और निविदा औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण हुई।

(घ) "केन्द्रीय फोरेंसिक – विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹665.13 लाख की बचत (₹2010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ङ) "अनुसंधान" – ₹125221.40 लाख की बचत (₹179500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सुरक्षा के संविदागत दायित्व पूरा न होने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की संविदाओं में लक्षित भुगतान में विलंब होने के कारण हुई।

(च) "आसूचना ब्यूरो" – ₹8748.77 लाख की बचत (₹17280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी उपकरणों की मरम्मत/अनुरक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा तकनीकी उपकरणों के अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(छ) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" – ₹1830.70 लाख की बचत (₹2665.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ज) "राष्ट्रीय जाँच पड़ताल एजेंसी" – ₹1028.43 लाख की बचत (₹4459.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति होने तथा प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुईं।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1493.55 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 93 प्रतिशत थी।

tenders in view of unreasonable hike in price and non-completion of tender formalities.

(d) "Central Forensic-Science Laboratory" - saving of ₹665.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2010.00 lakhs) was due to slow pace of work owing to COVID-19 pandemic.

(e) "Research" - saving of ₹125221.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹179500.00 lakhs)was due to non-fructification of contractual obligations and delay in milestone payments in contracts of National Security.

(f) "Intelligence Bureau" - saving of ₹8748.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17280.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards repairing/maintenance of technical equipments and non-finalisation of procurement proposals of technical equipments.

(g) "Narcotics Control Bureau" - saving of ₹1830.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2665.00 lakhs); and

(h) "National Investigation Agency" - saving of ₹1028.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4459.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow pace of work and non-finalization of proposals owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under four heads savings of ₹1493.55 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent to 93 percent of the sanctioned provision.

6.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹939.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं, जैसाकि फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष "4055" – "सशस्त्र सीमा बल – आधुनिकीकरण" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक व्यय ₹725.58 लाख था।

6.(I) The above savings were partly (₹939.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head "4055" - "Sashastra Seema Bal - Modernisation". Actual excess, however, was ₹725.58 lakhs.

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4055" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4055" - under the following heads: -

(का) "असम राइफल्स" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹7352.05 लाख का अधिक व्यय (₹2966.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "आवासीय भवन" – ₹7045.71 लाख का अधिक व्यय (₹1764.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "सशस्त्र सीमा बल – कार्यालय भवन" – ₹2501.98 लाख का अधिक व्यय (₹8245.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(A) "Assam Rifles" -

(a) "Office Buildings" - excess of ₹7352.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2966.00 lakhs);

(b) "Residential Buildings" - excess of ₹7045.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1764.00 lakhs); and

(B) "Sashastra Seema Bal - Office Buildings" - excess of ₹2501.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8245.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.